राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 की कार्य सूची (एजेण्डा)

67वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 67वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित उप-समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 06 फरवरी, 2019**
2. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 07 फरवरी, 2019**
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 18 फरवरी, 2019**
4. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 18 फरवरी, 2019**

एजेण्डा संख्या - 1

नीतिगत विषय :

(क) मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 (Model Land leasing Act) :

केंद्र सरकार ने **tenant farming** के लिए भूमि को पट्टे पर देने की सुविधा हेतु ड्राफ्ट मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016 सभी राज्यों को अपनाने हेतु प्रसारित किया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा तैयार मॉडल अधिनियम के अनुसार राज्यों को अपने स्वयं के भूमि पट्टे अधिनियम को तैयार करने की सुविधा हेतु यह मॉडल अधिनियम तैयार किया गया है। उत्तराखंड राज्य में मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट पारित नहीं है तथापि राज्य में 30 वर्षों की अवधि के लिए खेती योग्य भूमि को पट्टे पर देने का प्रावधान है। जून, 2018 में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में इस मुद्दे को सदन में रखा गया था, जिसके संबंध में कृषि विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि अधिनियम को लागू करने हेतु अध्ययन किया जा रहा है। इस मामले में कृषि विभाग से अनुरोध है कि वे कृपया मामले में हुई अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

(ख) कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming) :

केंद्र सरकार द्वारा 2018 में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाने के लिए मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन संविदा अधिनियम जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य अपने उत्पादों की बेहतर कीमत वसूली के लिए थोक खरीददारों के साथ किसानों को एकीकृत करना है। यह खेती प्रायोजकों के लिए एक व्यक्ति या किसानों के समूह के साथ, न केवल उत्पादन के लिए बल्कि उपज और कृषि सेवाओं के विपणन के लिए भी अनुबंध प्रदान करता है।

छोटे और सीमांत **(Small and Marginal)** किसानों को जुटाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ. / **FPO**) / किसान उत्पादक कंपनियों (एफ.पी.एस. / **FPS**) को बढ़ावा देने का प्रावधान अधिनियम में शामिल किया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन संविदा कृषि अधिनियम को अपनाने की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत करने की व्यवस्था करेंगे।

(ग) <u>किसान सम्मान योजना</u> :

भारत सरकार द्वारा उदघोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के क्रियान्वयन राज्य में भी प्रारम्भ किया जा रहा है। उक्त योजना में जारी धनराशि, जो DBT के माध्यम से किसानो के खाते में स्थानान्तरित की जानी है, के संदर्भ में अपर सचिव, कृषि, भारत सरकार के द्वारा Video Conference दिनांक 18-02-2019 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि Special Compensation के रुप में किसान के खाते में प्रेषित इस धनराशी में से Auto Debit, Recovery of Loan Instalment, Write Off / Set Off की कार्यवाही किसी भी स्थिति में प्रतिबन्धित है। राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड समिति द्वारा राज्य में कार्यरत सभी बैंको को दिनांक 18-02-2019 को इस विषयक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है।

(घ) <u>गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम (Gold Monetization Scheme)</u> :

अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, के पत्रांक संख्या 88 सी.एम.आर. (5) / स. वि. (बैं.) / 2019 दिनांक 18-02-2019 के द्वारा उपरोक्त योजना पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में रखा जाना निर्देशित किया गया है, जिसमें सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र संख्या F.No. 20/6/2015-FT दिनांक 25-10-2018 (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित बिन्दुओं पर चर्चा अथवा राज्य में यदि यह योजना प्रचलित में है, तो इस योजनानतर्गत कार्यवाही की जाए।

(ङ) <u>जिला सहकारी बैंक द्वारा वित्तपोषण</u> :

अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को अध्यक्ष महोदय द्वारा स्टैण्ड अप इण्डिया योजना अंतर्गत सहकारी बैंक द्वारा वित्तपोषण न करने के कारणों से पत्र द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका जवाब प्रतीक्षित है।

पुन: ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में दिनांक 06 फरवरी, 2019 को संज्ञान में आया है कि हरिद्वार जिले में जिला सहकारी बैंक की शाखा द्वारा एन.आर.एल.एम. योजनांतर्गत वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है, जिस पर सहकारी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके बैंक के बोर्ड द्वारा उक्त योजनांतर्गत वित्तपोषण पर रोक लगा दी गयी है, जिस पर संबंधित बैंक को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि वित्तपोषण न करने के कारणों से पत्र द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराएं, जिसका जवाब प्रतीक्षित है। सदन से अनुरोध है कि इस विषय में संबंधित बैंक को उचित माध्यम से निर्देशित किया जाए।

(च) <u>भारतीय स्टेट बैंक कालागढ़ शाखा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड को ओल्ड कालागढ़, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में</u> :

नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की कालागढ़ शाखा, जिला पौड़ी गढ़वाल को जिम कार्बेट पार्क (Green Belt) की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाना था। कालागढ़, पौड़ी जिले में कोई वैकल्पिक स्थान नहीं होने के कारण डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की बैठक में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शाखा को ओल्ड कालागढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है।

ओल्ड कालागढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ के कार्यक्षेत्र में आता है। अत: इस विषय को संबंधित बैंक शाखा के नियंत्रक द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड में अनुमोदन हेतु पत्र द्वारा सूचित किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के अनुमोदन के उपरांत संबंधित शाखा के नियंत्रक / रिर्पोटिंग में परिवर्तन कार्यवाही की जाएगी।

सदन से अनुरोध है कि भारतीय स्टेट बैंक की कालागढ़ शाखा, जिला पौड़ी गढ़वाल को ओल्ड कालागढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में शिफ्टिंग का अनुमोदन कर दिया जाए।

एजेण्डा संख्या - 2

<u>वित्तीय समावेशन - बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता</u> :

(क) <u>बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent)</u> : **Annexure - 1**

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 2000 से कम की आबादी वाले गाँवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए **2149** क्लस्टर / एस.एस.ए. 20 बैंकों को आबंटित किए गए थे। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 67वीं बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में सितम्बर, 2018 त्रैमास में लम्बित **513** एस.एस.ए. के सापेक्ष **151** एस.एस.ए. को बैंकिंग सुविधा से जोड़े जाने की पुष्टि बैंकों द्वारा की गयी है। दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक कुल **1787** एस.एस.ए. में बैंकिंग सुविधा प्रदान किया जाना बैंकों द्वारा सूचित किया गया गया है।

दिसम्बर, 2018 त्रैमास में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 46 एस.एस.ए. में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की पुष्टि की गयी है, जिसमें से 28 एस.एस.ए. को शाखाओं द्वारा कवर करना रिपोर्ट किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक इस विषय में पुष्टि करें कि उनके सभी एस.एस.ए. बैंक शाखा की परिधि में वर्तमान निर्देशों के अनुरुप विद्यमान हैं तथा सभी 28 एस.एस.ए. के खाताधारकों को सुगमतापूर्वक बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक संबंधित शाखाओं के नाम, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराए, जिससे एस.एल.बी.सी. पोर्टल को तदनुसार अपडेट किया जा सके।

दिसम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर **362** एस.एस.ए. में बी.सी. की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, इनमें से अधिकांश एस.एस.ए. दूरस्थ स्थानों पर स्थित हैं, जहाँ बी.सी. को चयनित किए जाने हेतु बैंकों द्वारा संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति की बैठक में भी अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त किया गया है कि लम्बित एस.एस.ए. में बी.सी. लगाए जाने के समग्र प्रयास किए जा रहे हैं।

<u>Business Correspondent की अनुपलब्धता</u> :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा नाबार्ड से किए गए अनुरोध के आधार पर नाबार्ड द्वारा एस.एल.बी.सी. को **22** स्थानों पर महिला स्वयं सहायता समूह के बी.सी. हेतु इच्छुक सदस्यों के नाम प्रेषित किए गए थे, जिसे संबंधित बैंकों को उनको आबंटित एस.एस.ए. के आधार पर प्रेषित कर दिया गया था।

(ख) <u>वी.-सैट की स्थापना</u> : **Annexure - 2**

आरम्भ में **2149** एस.एस.ए. में से **1181** एस.एस.ए. कनेक्टिविटी रहित / ग्रे रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें से सितम्बर, 2018 त्रैमास में लम्बित **116** एस.एस.ए. में से **46** स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी / वी.-सैट के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है। वर्तमान में **1181** एस.एस.ए. में से **1111** स्थानों पर कनेक्टिविटी, वी.-सैट

अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर प्राप्त कर ली गयी है। दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक **70** वी.-सैट की स्थापना लम्बित हैं, जिनमें दोनों माध्यमों से कनेक्टिविटी प्राप्त करने के प्रयास बैंकों द्वारा किए जा रहे हैं।

इसी संदर्भ में नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 07 फरवरी, 2019 में अवगत कराया गया है कि बैंक वी.-सैट स्थापना का कार्य मार्च, 2019 तक पूर्ण करते हुए अप्रैल, 2019 तक वी.-सैट की प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर दें, अन्यथा इस अवधि के उपरांत प्रतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा।

(ग) <u>वित्तीय साक्षरता कैम्प</u> :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 67वीं बैठक में माननीय वित्तमंत्री, उत्तराखंड महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक आयोजित कैम्प की प्रगति निम्नवत है :

त्रैमास	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	स्वयं सहायता समूह हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
अक्टूबर-दिसम्बर, 2018	1956	839	2795
अप्रैल-दिसम्बर, 2018	4522	2639	7161

एजेण्डा संख्या - 3 <u>बैंकों द्वारा ऋण वितरण</u>

(क) <u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> : **Annexure - 3**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के वार्षिक लक्ष्य **₹ 20025.54 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **₹ 12071.91 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का **60%** है, यद्यपि तृतीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक **65%** है।

(₹ करोड़ों में)

मद	सितम्बर, 2018			दिसम्बर, 2018		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	7037.05	2480.40	35%	7037.05	3477.65	49%
सावधि ऋण	3643.46	883.10	24%	3643.46	1519.17	42%
फार्म सेक्टर (कुल)	**10680.51**	**3363.50**	**31%**	**10680.51**	**4996.82**	**47%**
नॉन-फार्म सेक्टर	6102.48	3220.43	53%	6102.48	4989.44	82%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3242.54	1672.35	52%	3242.54	2085.64	64%
कुल योग	**20025.54**	**8256.28**	**41%**	**20025.54**	**12071.91**	**60%**

(ख) <u>सरकारी ऋण योजनाएं</u> :

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनांतर्गत प्रगति तथा बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों एवं विभागों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम संख्या में बैंको को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों पर विस्तृत चर्चा एवं निर्देश संबंधित उप-समिति / स्थायी समिति की बैठकों में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए हैं। इसी अनुक्रम में बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया है कि वे उनकी बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निपटान यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक योजनावार प्रगति निम्नवत है :

(i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM INDIVIDUALS) : **Annexure - 4**

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1182	1529	744	721	1111.85	343	442

(ii) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समूह (NULM GROUPS) : **Annexure - 5**

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
18	71	21	12	12.95	9	47

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : **Annexure - 6**

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत राशि	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
5641	3636	1725	1457.12	1184	1005.31	371	1540

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (**NRLM**) के अंतर्गत पूर्व निर्धारित लक्ष्य **4319** को ऱाज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 67वीं बैठक में बढ़ाकर **5641** किया जाना अनुमोदित किया गया था। ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06 फरवरी, 2019 को विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 10 फरवरी, 2019 तक लक्ष्य के सापेक्ष **2712** की प्रगति दर्ज कर ली गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम्य विकास के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों **(SHGs)** को वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा किए गए वित्तपोषण का विवरण निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

CCL	No. of SHGs	Amount
	881	**848.78**
Term Loan	**824**	**1059.88**
Total	**1705**	**1908.66**

Credit utilization by Self Help Groups under Deendayal Antyodaya Yojana - NRLM :

वर्तमान तिथि तक स्वयं सहायता समूहों द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना के अंतर्गत ऋण का उपयोग ग्रामीणों को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के साथ-साथ साहूकारों से मुक्त करने में सहायक है। इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय द्वारा **15** राज्यों के विभिन्न ब्लॉक एवं जिलों में **290** स्वयं सहायता समूहों पर विस्तृत अध्ययन किया गया है, जिसके अनुसार निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा गया है :

(क) स्वयं सहायता समूहों द्वारा वितरित ऋण राशि का औसतन 65.5% सदस्यों द्वारा अपने जीविकोपार्जन गतिविधियों को ऊपर उठाने के लिए उपयोग किया जाता है।

(ख) सदस्य द्वारा स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण का शेष 34.5% निम्न गतिविधियों में व्यय किया जाता है :

- 12.8% सामाजिक आवश्कताओं हेतु।
- 11.8% मकान की मरम्मत हेतु।
- 7.2% उच्च दर पर लिए गए ऋण की भरपाई हेतु
- 2.7% विविध उद्देश्य हेतु।

अत: बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को आय सृजित करने वाली गतिविधियों हेतु एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत वित्तपोषण को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को परामर्श दिया गया है (Para 7.3.2 of Master Circular on DAY-NRLM dated July 04th, 2018) कि वे ₹ 2.00 लाख से अधिक की ऋण राशि का 50% एवं ₹ 4.00 लाख से अधिक की ऋण राशि का 75% का उपयोग आय सृजन गतिविधियों हेतु दिया जाना चाहिए।

(iv) <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> : **Annexure - 7**

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	EDP के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	अनुदान वितरण का लक्ष्य	अनुदान वितरण राशि
DIC - 476	1984	801	633	4524	305	615	263	1190.16	1206.70
KVIC - 357	543	302	181	1624	45	144	52	892.62	454.77
KVIB - 357	776	332	346	2855	121	230	93	892.62	739.88
Total - 1190	**3303**	**1435**	**1160**	**9003**	**471**	**989**	**408**	**2975.40**	**2401.35**

वर्तमान तिथि तक राज्य के लिए निर्धारित मार्जिन मनी लक्ष्य **₹ 29.75 करोड़** के सापेक्ष **₹ 29.06 करोड़** मार्जिन मनी बैंकों को प्राप्त हो गयी है तथा **₹ 1.42 करोड़** मार्जिन मनी संबंधित पोर्टल पर क्लेम किया गया है। अत: योजनांतर्गत लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति की गयी है।

(v) <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : **Annexure - 8**

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वाहन - 200	164	88	78	718	14	62
गैर-वाहन - 200	112	27	21	433	32	53
कुल योग - 400	276	115	99	1151	46	115

(vi) <u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना</u> (पर्यटन विभाग) :

उत्तराखंड सरकार द्वारा 18 दिसम्बर, 2018 को दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली 2018 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसे बैंक नियंत्रकों को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नांकित संशोधन किए गए हैं।

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 है।

2. यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगी।

3. यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

4. नवीन भवन निर्माण अथवा विस्तारीकरण हेतु बैंक ऋण प्राप्त किए जाने हेतु प्रामाणित भवन नक्शे की आवश्यकता होगी।

5. गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किए जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी।

6. योजना के सापेक्ष लिया जाने वाला बैंक ऋण व्यवसायिक ऋण की श्रेणी में आएगा।

योजनांतर्गत 31 दिसम्बर, 2018 तक की प्रगति निम्नवत है : **Annexure - 9**

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
2000	186	13	02	30	08	165

संशोधित अधिसूचना के क्रम संख्या - 5 में दर्शित 4(3) नियम 4 के संशोधन, जिसमें बताया गया है कि गृह आवास / होम स्टे स्थापित किए जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी, बैंक नियंत्रकों के द्वारा इस संदर्भ में और अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है, क्योंकि कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा इसका आशय संपूर्ण होम स्टे के ऋण से लगाया जा रहा है, जब कि भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता केवल नये ऋण अथवा भवन के major Alteration / Addition की स्थिति में किया जाना है। सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड से इस विषय में अपेक्षित संशोधन कराए जाने का आग्रह किया गया है, जिस पर उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। इस विषय में संशोधन का उचित प्रारुप बैंकों के साथ बैठक कर पर्यटन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(vii) <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय त्रैमास में योजनांतर्गत कुल लक्ष्य 2000 के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है : **Annexure - 10**

(₹ लाख में)

विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र					**ग्राहकों से सीधे बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र / शाखा स्तर पर स्वीकृत**		**सकल स्वीकृत**	
प्राप्त	स्वीकृत		निरस्त / वापिस	लम्बित				
संख्या	संख्या	राशि	संख्या	संख्या	संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
328	**86**	**666.90**	**104**	**138**	**1468**	**20136.82**	**1554**	**20803.72**

बैंकों के अतिरिक्त हाऊसिंग फाइनेन्सिंग कंपनी द्वारा भी **1348** ऋण योजनांतर्गत स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल एजेन्सियों द्वारा वितरित अनुदान का विवरण निम्न है :

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	**स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**वितरित अनुदान राशि**
एन.एच.बी.	1433	19314.81	3017.02
हुडको	123	1260.83	173.57
योग	**1556**	**20575.64**	**3190.59**

(viii) <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

दिसम्बर, 2018 त्रैमास में सभी बैंकों द्वारा योजनांतर्गत दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है : **Annexure – 11**

(₹ करोड़ में)

मद	**दिसम्बर, 2018 त्रैमास की प्रगति**			**वित्तीय वर्ष 2018-19 दिसम्बर, 2018 तक की प्रगति**			**योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की कुल प्रगति**	
	आवेदन प्राप्त	**आवेदन स्वीकृत**	**स्वीकृत राशि**	**आवेदन प्राप्त**	**आवेदन स्वीकृत**	**स्वीकृत राशि**	**कुल वितरित आवेदन पत्र**	**कुल वितरित ऋण राशि**
महिला	110	110	23	**254**	**254**	58	1100	**243**
अनुसूचित / जनजाति	12	12	4	47	47	11	243	**49**
योग	**122**	**122**	**27**	**301**	**301**	**69**	**1343**	**292**

(ix) <u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना</u> : **Annexure - 12**

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	दिसम्बर, 2017				दिसम्बर, 2018			
		निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	%	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	%
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	23137	68.57	**36**	177.92	**58057**	**184.61**	**104**
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	23968	524.41	**62**	840.14	**27976**	666.24	**79**
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	4981	375.49	**44**	906.78	**7294**	597.77	**66**
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1896.22**	**52086**	**968.48**	**51**	**1924.84**	93327	1448.62	75

योजनांतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक **93327** लाभार्थियों को **₹ 1448.62 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(x) <u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> : **Annexure - 13**

(₹ लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	1459	1303	932	908	562	86	285
अनुसूचित जनजाति	100	115	62	50	30	07	46
अल्पसंख्यक समुदाय	454	250	52	26	54	11	187
कुल	**2013**	**1668**	**1046**	**984**	**646**	**104**	**518**

(ग) <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME)</u>

सभी बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत दिसम्बर, 2018 त्रैमास तक **₹ 6102.48 करोड़** लक्ष्य के सापेक्ष **₹ 5035.36 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो लक्ष्य का **83%** है। **Annexure - 14**

Status of outstanding : **(₹ करोड़ में)**

त्रैमास	सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		सकल योग
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
दिसम्बर, 2018	1556	3490	2336	5236	1932	1713	5824	10439	**16263**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखंड राज्य के तीन जिलों हरिद्वार, पंत नगर (उधम सिंह नगर) एवं नैनीताल का चयन **100 Days MSME Support and Outreach Campaign** संचालित करने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य **MSME** क्षेत्र में ऋण प्रवाह को गति प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। उक्त अभियान के तहत हरिद्वार, पंत नगर (उधम सिंह नगर) एवं नैनीताल में क्रमश: **20, 19 एवं 21** कैम्प आयोजित किए गए, जिसमें दिनांक **05 फरवरी, 2019** तक विभिन्न योजनाओं यथा **59 Minutes, MUDRA, Stand Up India, PMEGP, Other MSME, RSETIs** एवं **CGTMSE** के अंतर्गत **कुल 45359** लाभार्थियों को कुल **₹ 432.03 करोड़** के ऋण वितरित किए गए है। साथ ही ऐसे **SME** खाते**,** जो कि खराब होने की स्थिति में हैं, को **Restructured** कर अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) <u>किसान क्रेडिट कार्ड योजना ;</u> **Annexure - 15**

(₹ करोड़ों में)

वर्ष 2018-19 के.सी.सी. लक्ष्य	01.04.2018 से 31.12.2018 तक जारी किए गए कार्ड	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत	कुल जारी किए गए कार्ड की संख्या	31.12.2018 तक वितरित राशि
1,00,000	60816	**61%**	500877	7042.65

(ङ) <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> :

राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल खरीफ मौसम में धान तथा मण्डुवा एवं रबी मौसम में गेहूं तथा मसूर बीमा के लिए शामिल हैं। उद्यान की फसलों यथा सेब, आम, लीची, आडू, माल्टा, आलू, अदरक, मटर एवं टमाटर का बीमा मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर पर राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश के पश्चात योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

मौसम रबी 2018-19 के अंतर्गत बीमित किसानों के विवरण को पोर्टल में बैंकों के द्वारा अपलोडिंग प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2018-19 में बैंकों की फसल बीमा योजना की प्रगति निम्नानुसार रही है।

(Rs. In Lakhs)

Scheme	Season	Farmer insured	Sum insured	Farmer Premium
PMFBY	Kharif 2018	85821	38697.81	461.96
PMFBY	Rabi 2018-19	38778	19636.52	294.55
RWBCIS	Kharif 2018	38150	16078.03	803.90
RWBCIS	Rabi 2018-19	8230	4812.52	240.63
Total		**170979**	**79224.88**	**1801.04**
Non Loanee farmers		19660	5391.03	252.01

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2018 तक **53430** किसानों को **₹ 31.18 करोड** का फसली बीमा क्लेम वितरण करना, एग्रीकल्चर इंश्योंरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सूचित किया गया है।

फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31.12.2018 तक की प्रगति एवं क्लेम वितरण **Annexure – 16 & 17**

(₹ लाखों में)

योजना	कुल फसली ऋण वितरित	अधिसूचित फसली ऋण का बीमा	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि	क्लेम वितरित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या
PMFBY	3,47,765	58334.33	124599	756.51	298.68	12870
RWBCIS	3,47,765	20890.55	46380	1044.53	2818.90	40560

एजेण्डा संख्या - 4 : <u>ऋण-जमा अनुपात</u>

वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति तक ऋण-जमा अनुपात **60 %** रहा है।

निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है : **Annexure - 18**

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	दिसम्बर, 2018
रुद्रप्रयाग	54	25%
टिहरी	134	38%
पौड़ी	197	24%
अल्मोड़ा	147	25%
बागेश्वर	51	28%

संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से क्षेत्र विशेष की सम्भाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की उपयुक्त कार्ययोजना बना कर उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें एवं सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कराएं, जिससे कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 5 : <u>कौशल विकास मिशन</u>

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u> :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा **262** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा **6899** अभ्यर्थियों को वांछित रोजगारपरक क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष **179** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **4795** अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्रदत्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का %	बैंक द्वारा वित्तपोषित की संख्या	रोजगार %
01.04.2018-31.12.2018	179	4795	2402	**50.09**	1452	**60.44**
01.04.2011-31.12.2018	1907	50277	33780	**67.18**	14875	**44.03**

उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा 40 प्रकार के उद्यम / रोजगार स्थापित करने की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने अनुमोदित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण आरसेटी की वेबसाइट (www.nacer.in) पर उपलब्ध है।

दिसम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति किया जाना निम्नवत लम्बित है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	लम्बित राशि
1	2016-17	22	0.26
2	2017-18	185	5.52
3	2018-19	1141	52.31
कुल योग		**1348**	**58.09**

शासन स्तर से आरसेटी संस्थान देहरादून, के भवन निर्माण हेतु पूर्व आबंटित / चयनित भूमि के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन किया जाना प्रतीक्षित है।

एजेण्डा संख्या - 6 : <u>गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एन.पी.ए.)</u> : **Annexure - 19**

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिम		31.12.2018 तक कुल एन.पी.ए.		प्रतिशत
संख्या	राशि	संख्या	राशि	**4.84%**
1624040	68607.89	174781	3319.08	

सितम्बर, 2018 त्रैमास के कुल एन.पी.ए. **182813** व राशि ₹ **3314.99 करोड़** के सापेक्ष दिसम्बर, 2018 त्रैमास में **5.08%** से घटकर **4.84%** हुआ है।

क्षेत्रवार विवरण (Segmental Details) : **(₹ करोड़ में)**

अवधि	कृषि क्षेत्र		एम.एस.एम.ई.		व्यैक्तिगत		अन्य क्षेत्र		कुल एन.पी.ए.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
31.03.2018 तक	86202	934.67	47721	1373.41	34573	443.02	9593	309.78	178089	3060.88
31.12.2018 तक सकल एन.पी.ए.	88875	1088.47	46067	1369.53	29366	481.86	10473	379.22	174781	3319.08
खण्डवार अग्रिम (outstanding) का एन.पी.ए. %		**9.21**		**8.42**						
कुल अग्रिम का एन.पी.ए. %		**1.59**		**2.00**		**0.70**		**0.55**		**4.84**

सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित आस्तियों का विवरण :

निम्न सूचना भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नैनीताल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत है।

(In ₹ Lacs)

Sl.	Scheme	Total Outstanding		Gross NPA		GNPA %
		No.	Amt.	No.	Amt.	
1	PMEGP	6469	14387.00	1011	1670.77	11.61%
2	SCP	3529	9129.32	863	289.56	3.17%
3	VCSGY	1862	13633.28	405	4755.75	34.88%
4	NULM	2400	1235.36	453	176.69	14.30%
5	NRLM	4418	1830.41	1022	425.52	23.25%
6	DRI	5790	503.45	1107	124.57	24.74%
7	MUDRA YOJANA	90594	149059.38	8341	10601.68	7.11%
8	DEDS	5582	7001.70	1051	1177.39	16.82%
9	STAND UP INDIA	962	17445.35	30	392.70	2.25%
10	PMAY	1115	18384.54	02	31.53	0.17%
TOTAL		**122721**	**232609.79**	**14285**	**19646.16**	**8.45%**

<u>सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित अस्तियों के विरुद्ध ऑन-लाइन वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति</u>

31 दिसम्बर, 2018 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत है : **Annexure – 20**

(₹ करोड़ में)

	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	14822	216.90
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	19353	240.44
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	5003	36.63
पाँच वर्ष से अधिक	4773	55.97
कुल लम्बित आर.सी.	43951	549.94
01.04.2018 से 31.12.2018 तक वसूली की स्थिति	6358	37.89

वित्तीय वर्ष 2018-19 की तृतीय तिमाही तक **6358** वसूली प्रमाण पत्रों में **₹ 37.89 करोड़** की राशि वसूल की गयी है।

एजेण्डा संख्या - 7 : <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** के अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि में वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय त्रैमास में बैंकों द्वारा निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं : **Annexure - 21**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**मद**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण राशि**
1.	डेयरी	6386	114.44
2.	मुर्गी पालन	1048	25.04
3.	भेड़ / बकरी / सुअर पालन	2905	19.51
4.	प्लांन्टेशन एवं बागवानी	813	22.23
5.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	1268	317.07
6.	कृषि यंत्रिकरण	2845	49.26
7.	मत्स्य पालन	369	7.15
8.	स्टोरेज गोदाम	1164	44.37
9.	जल संसाधन	462	7.92
10.	भूमि विकास	1282	28.89
11.	अन्य (कृषि संबंधित क्रियाकलाप)	46674	883.29
कुल योग		**65216**	**1519.17**

एजेण्डा संख्या - 8 : <u>केंद्र / राज्य सरकार की नीति</u> :

उद्योग नीति, एम.एस.एम.ई., कृषि नीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन / संशोधनों के संदर्भ में सदन को अवगत कराने का अनुरोध करते हैं।

एजेण्डा संख्या - 9 : <u>डीसीसी / डीएलआरसी बैठक</u>

<u>जिला स्तरीय बिंदुओं के समाधान हेतु समीक्षा</u> :

इस संबंध में सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने जिले की डी.सी.सी./ डी.एल.आर.सी. एवं बी.एल.बी.सी. की बैठकों का रोस्टर जारी करें एवं निर्धारित तिथि के अनुसार बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें।

दिसम्बर, 2018 त्रैमास की डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. बैठकों की निर्धारित तिथि का विवरण :

क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि	क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि
1	पौड़ी	19.02.2019	8	बागेश्वर	07.02.2019
2	रुद्रप्रयाग	24.01.2019	9	टिहरी	08.02.2019
3	देहरादून	16.02.2019	10	उधम सिंह नगर	25.02.2019
4	पिथौरागढ़	22.02.2019	11	अल्मोड़ा	15.02.2019
5	चम्पावत	20.02.2019	12	हरिद्वार	08.02.2019
6	चमोली	22.01.2019	13	नैनीताल	20.02.2019
7	उत्तरकाशी	20.02.2019			

एजेण्डा संख्या - 10 : <u>एस.एल.बी.सी. ऑकड़े</u>

<u>वास्तविक एवं सही एस.एल.बी.सी. आँकड़ों का समय पर प्रेषण</u> :

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों, रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

साथ ही शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती की जा सके।

बैंक नियंत्रक अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करवाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 11 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****